न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः डॉ.सूरज सिंह नेगी, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0—345/2016

प्रविष्टि दिनांक —8.12.2016

खाजू पुत्र कल्याण जाति माली निवासी सिविल लाईन टोंक

—वादी

बनाम

1. काली पत्नी लाला पटेल जाति माली निवासी मोदी की चौकी सिविल लाईन टोंक
2. श्यालाल पुत्र लाला पटेल जाति माली निवासी मोदी की चौकी सिविल लाईन टोंक
3. पप्पू पुत्र लाला पटेल जाति माली निवासी मोदी की चौकी सिविल लाईन टोंक
4. ताराचन्द पुत्र लाला पटेल जाति माली निवासी मोदी की चौकी सिविल लाईन टोंक
5. तहसीलदार टोंक
6. नगरपरिषद टोंक जरिये आयुक्त टोंक

— प्रतिपक्षीगण

उपस्थित—श्री नवरत्न नामा — वकील वादी
श्री शराफत अली—अभिभाषक—प्रतिवादी

दादा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज , उदघोषणा, तकासमा अराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक—05/09/17

अधिवक्ता वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज , उदघोषणा, तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख.न. 2230 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा शर्की टोंक तहसील टोंक जिसके हाल ख.न. 2525 है जो पोखर पुत्र जीवन कोम माली के नाम थी जिसमे से 3 बिस्वा भूमि पश्चिम की ओर वादी ने खरीद की है। खरीद के समय से ही उक्त भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। पोखर की मृत्यु हो चुकी है। पोखर ने अपने जीवन काल मे ही लाला को गोद लिया था और अब लाला की भी मृत्यु हो चुकी है। लाला के वारिसान 1 ता 3 है। राजस्व कर्मचारियो ने वादी पत्र के विक्रय पत्र का अमल दरामद नही किया। प्रतिवादीगण अब वादी का हक मानने से इंकार कर रहे है। अतः वादी को हाल ख.न. 2525 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा मे से 3 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादी के उक्त 3 बिस्वा कब्जे मे किसी तरह मजाहमत नही करे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार भूमि ख.न. 2230 के हाल ख.न. 2525 है। वादग्रस्त अराजी आबादी मे होने से नामान्तरकरण नगरपरिषद टोंक के नाम होना स्वीकार है। शेष तथ्य अस्वीकार है। अतः वाद पत्र खारिज किया जावे।

शेष प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद तामील के जवाब प्रस्तुत नही किया ।

ड अधिकारी
क (राज०)

Scanned by CamScanner

इसके पश्चात प्रकरण मे पी. डब्ल्यू–1 खाजू पुत्र कल्याण माली के बयान करवाये गये। पी. डब्ल्यू–2 केसरलाल पुत्र मूलचन्द माली के बयान करवाये गये।

अधिवक्ता वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे इकरार नामा प्रदर्श–1, जमांबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रकरण मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

हमने वाद पत्र, जवाब, दावा एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि ख.न. 2525 जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार आबादी में दर्ज है जिसकी किस्म गै.मु. मकान है। न्यायालय हाजा राजस्व न्यायालय है जिसमे मात्र कृषि भूमि के संबंध मे ही वाद सुनने का अधिकार है। इस प्रकार विवादित भूमि कृषि भूमि नही होने के कारण न्यायालय हाजा का उक्त वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नही है साथ ही तथाकथित विक्रय पत्र मात्र 6 रूपये के स्टाम्प पर अंकित है और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से खातेदारी अधिकारों का अंतरण नही किया जा सकता है। चूंकि उक्त विक्रय पत्र 1972 का है जिसका तत्समय ही अमल दरामद करवाया जाना चाहिए था। चूंकि अब वाद पत्र के अनुसार विक्रेता खातेदार की भी मृत्यु हो चुकी है इस कारण विक्रय पत्र के सत्यापन का भी अभाव है साथ ही विक्रय पत्र की सत्यता का प्रश्न भी सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अतः वाद पत्र में अंकित तथ्य न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण वाद इस न्यायालय मे विचरणीय नही है। वाद पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

फलतः वाद पत्र दुरूस्ती इन्द्राज, उदघोषणा, तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा ख.न. 2525 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, वाके ग्राम कस्बा शर्की, टोंक, तहसील टोंक न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के बाहर होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 05/09/17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

lc

(डॉ.सूरज सिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner